

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ।

पत्र सं० 2566 रोडी/14- 29रोडी/विविध/99-IV

दिनांक 2-4-09-2014

- 1- प्रधान प्रबन्धक (के०कार्य०/डा०रा०म०लो०कार्य०)  
उ०प्र० परिवहन निगम,  
कानपुर।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
उ०प्र० परिवहन निगम।

**विषय- अनुशासनिक प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण किए जाने के संबंध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक के परिपत्र संख्या 2016रोडी/14-79 रोडी/विविध/07 दिनांक 06.08.2014 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-2312(1)रोडी/14-79रोडी/विविध/07 दिनांक 11.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रबन्ध निदेशक महोदय के निर्देशों के अनुपालन में एक अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि 01 वर्ष से अधिक अनुशासनिक प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 15.09.2014 तक प्रत्येक दशा में करते हुए दिनांक 16.09.2014 को प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) की ईमेल-आई० डी० [gmp@upsrtc.com](mailto:gmp@upsrtc.com) पर इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में किसी अधिकारी के पास एक वर्ष से अधिक का कोई अनुशासनिक प्रकरण लम्बित नहीं है। खेद का विषय है कि वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

कृपया अधिकारीवार एक वर्ष से अधिक अवधि के अनुशासनिक प्रकरणों की निस्तारण स्थिति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में किसी अधिकारी के पास एक वर्ष से अधिक का कोई अनुशासनिक प्रकरण लम्बित नहीं है। उक्त सूचना प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) की ईमेल-आई०डी० [gmp@upsrtc.com](mailto:gmp@upsrtc.com) पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में निदेशक मण्डल की 200वीं बैठक दिनांक 19.08.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(के०विजयेन्द्र पाण्डेयान)  
अपर प्रबन्ध निदेशक

**समसंख्यक/समदिनांकित**

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा०/संचा०/प्रावि०), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- निजी राक्षि, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(के०विजयेन्द्र पाण्डेयान)  
अपर प्रबन्ध निदेशक